

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 50आठ /पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

संयुक्त सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28/8/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 20.08.2026 द्वारा स्वीकृत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सभी ग्राम पंचायतों को मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु कुल ₹4,02,45,00,000.00 (चार अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 7986 दिनांक 22.05.2026 द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 20.08.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के कुल 8049 ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को विकास निधि के Tied मद में देय राशि में से ₹05-₹05 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से कुल ₹4,02,45,00,000.00 (चार अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की राशि (विवरणी-1) के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य के कुल 8049 ग्राम पंचायतों में मोक्षधाम/श्मशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को विकास निधि के Tied मद से कुल ₹4,02,45,00,000.00 (चार अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की राशि विवरणी-1 के अनुरूप राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 20.08.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष-"0009.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" मद से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 46(स्वी०) दिनांक 20.08.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या-...75.../टि० पर दिनांक 25/08/2026 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(निर्वाह हुसैन) 28/8/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड)/...../पं०रा० पटना, दिनांक... 28/8/26
50(आ०)
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत
राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6, 07 (उपयोगिता
प्रमाण पत्र कोषांग)/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
28/8/26

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड)/...../पं०रा० पटना, दिनांक... 28/8/26
50(आ०) विशेष सचिव
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
28/8/26
विशेष सचिव

Aditi